

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़

रायपुर



❖ आगन्तुक सहायता पत्रक ❖

आदरणीय अभिदाता

महालेखाकार कार्यालय में आपका स्वागत है। सामान्य भविष्य निधि से संबंधित जानकारियों के लिये कृपया 'शिकायत निवारण कक्ष' में सम्पर्क करें एवं वहां उपलब्ध 'आवेदन' में चाही गयी जानकारी का विवरण अंकित कर आपको जो जानकारी चाहिये उसका भी स्पष्ट विवरण देने का कष्ट करें जिससे यह कार्यालय आपकी यथासंभव सहायता कर सकेगा।

महालेखाकार

(अ) अंतिम भुगतान प्रकरण की जानकारी के लिये :-

कृपया निम्न जानकारियों आवश्यक हैं-

- (i) प्रकरण इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने का डाकघर क्रमांक व दिनांक (जावक क सहित)
- (ii) सही नाम, खाता क्रमांक मुख्यशर्षिर् आहरण संवितरण अधिकारी का विवरण, सेवानिवृत्ति दिनांक
- (iii) प्रेषित प्रकरण के सहा संलग्नकों का विवरण
- (iv) सेवाकाल में पदस्थापनाओं का दिनांक (अवधि) सहित विवरण
- (v) इस कार्यालय से कोई पत्राचार किया गया हो तो उसका विवरण
- (vi) यदि एक से अधिक खाता क्रमांक आबंटित हुये हो तो उसका विवरण भी दें।
- (vii) यदि कम भुगतान की अशंका हो या ऋणात्मक शेष हो तो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित गणना पत्रक का मिलान अपने अभिलेख से करते हुये तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें।
- (viii) यदि कोई आहरण गलत दर्शाया गया हो तो उसकी पुष्टि के लिये विभागीय श्रेड्यूल की प्रमाणित प्रति एवं डी.डी.ओ. का सत्यापन।
- (ix) सत्यापित पास बुक प्रति।
- (x) अभिदाता के स्वर्गवासी होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, नोमिनेशन की सत्यापित प्रति,
- (xi) दिनांक 5.6.1972 से सेवानिवृत्ति तक लिये गये आंशिक अंतिम विकर्षणों की सूची
- (xii) अंतिम भुगतान प्रकरण सेवा निवृत्ति के चार माह पूर्व ही कटौती बंद कर विभाग द्वारा प्रकरण महालेखाकार कार्यालय भेजा जाना चाहिये ताकि सेवानिवृत्ति तिथि तक अंतिम भुगतान पत्र जारी किया जा सके।

(ब) खाता सुधार हेतु-

- (i) पास बुक (सत्यापित) की छाया प्रति
- (ii) गुम शुदा अवधि का विवरण
- (iii) सही नाम/खाता क्रमांक/पद स्थापना विवरण
- (iv) आहरण संवितरण अधिकारी का विवरण
- (v) यदि डी.पी.एफ./सी.पी.एफ कटा हो तो उसका विवरण
- (vi) एक से अधिक खाता क्रमांक आबंटित हुये हो तो उसका विवरण
- (vii) इस कार्यालय द्वारा जारी लेखा पर्चीयों की प्रतियाँ यदि हो
- (viii) प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं डी.डी.ओ. का विवरण
- (ix) डी.पी.एफ की राशि जी.पी.एफ में समाहित किये जाने के संदर्भ में डी.पी.एफ खाता बन्द किये जाने व भविष्य में कोई आहरण न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- (x) गुमशुदा कटौती के समायोजन के संदर्भ में उक्त अवधि के कटौती श्रेड्यूल की प्रमाणित प्रति एवं कोषालय काउचर क्रमांक का उल्लेख आवश्यक है।
- (xi) यदि गुमशुदा अवधि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पूर्व की अवधि से संबंधित है एवं रिकार्ड म.प्र. से प्राप्त न हो पाये हो तो मंगाकर समायोजन करने में कुछ समय लगने की संभावना है।



(स) लेखा पत्ती न प्राप्त होने के संबंध में :-

- (i) सही नाम / खाता क्रमांक जितने भी हों
- (ii) आहरण सवितरण अधिकारी का विवरण, मुख्य शीर्ष
- (iii) अतिम प्राप्त लेखा पत्ती की छाया प्रति, यदि हो
- (iv) सेवा प्रारंभ से पदस्थापनाओं का विवरण
- (v) डी.डी.ओं का प्रमाण पत्र कि लेखा पत्ती नहीं मिली
- (vi) लेखापत्री कब से प्राप्त नहीं हो रही है
- (vii) सामानि कटौत कब से प्रारंभ हुये है
- (viii) लेखापरिचयों सवितरण आहरण सवितरण अधिकारी के पते पर प्रेषित की जाती है एवं एक ही प्रति प्रमाण पत्र आवश्यक है कि उन्हें अभिवाता की लेखापत्री प्राप्त नहीं हुयी है ।

(द) नवीन खाता क्रमांक आवंटन हेतु :-

- (i) कर्मचारी विभाग से प्रमाणित करावे कि वह 01.11.2004 के पूर्व शासकीय सेवा में है ।
- (ii) क्या तीन प्रति में निष्पत्ति प्राप्त खाता आवंटन हेतु विभाग से प्रेषित किया जा चुका है यदि हाँ तो जाचक क / दिनांक / प्रतिलिपि,
- (iii) यदि पूर्व में विभागीय भविष्य निधि (डी.पी.एफ.) या सी.पी.एफ. का अंशदाता रहे हो तो उसका विवरण
- (iv) डी.पी.एफ. / सी.पी.एफ. के कटौतों की अवधि एवं अद्यतन ब्याज सहित मासिक / वार्षिक विवरण

(ध) खाता छत्तीसगढ़ से म.प्र. या म.प्र. से छ.ग. स्थानांतरण

- (i) नाम / पदनाम / विभाग जहाँ कार्यरत थे ।
- (ii) खाता क्रमांक एवं कार्यकाल व पदस्थापना की अवधि एवं मुख्यशीर्ष
- (iii) कब से कब तक की अवधि का स्थानांतरण प्रस्तावित किया गया ।
- (iv) डी.डी.ओं के माध्यम से किये गये पत्राचार की प्रति
- (v) आहरण सवितरण अधिकारियों का विवरण व विभाग का नाम दोनों पक्षों में पदस्थापना अवधि ।

(दो) डी.पी.एफ. से सी.पी.एफ. स्थानांतरण संबंधी

- (i) अभिलेखा का नाम व पद
- (ii) विभागीय भविष्य निधि में कटौती की अवधि / पदेन्तलि दिनांक
- (iii) स्थानांतरित की जाने वाली राशि का ब्याज सहित गणना पत्रक की प्रति मंडलखाकाए कार्यालय में प्रेषित करने का जाच दिनांक
- (iv) सामानि कटौतें प्रारंभ होने की तिथि
- (i) विमनि, खाता बंद होने एवं भविष्य में आहरण न किये जाने का प्रमाण पत्र

आपके पधारने एवं सहयोग देने के लिये

धन्यवाद

